रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 87] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 20, 1999/आश्विन 28, 1921
No. 87] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 20, 1999/ASVINA 28, 1921

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 1999

फा. सं. टीएएमपी/83/99-सीएचपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार 1994-97 की अवधि के दौरान चेन्नई पत्तन न्यास में परित्याग किए गए एफसीएल कंटेनर के लिए भंडारण प्रभारों की वसूली के विरुद्ध भारतीय नौवहन निगम के आवेदन पत्र को एतद्द्वारा रद्द करता है।

(मामला सं0 टीएएमपी/83/99—सीएचपीटी)

भारतीय नौवहन निगम — — — आवेदक

बनाम

चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) — — — गैर—आवेदक

आदेश

(सितम्बर,1999 के 30वें दिन को पारित किया गया)

यह मामला परित्याग किए गए एफसीएल कंटेनरों/पोतवणिक स्वामित्व वाले कंटेनरों और 'पोतवणिक स्वामित्व वाले से भिन्न कंटेनरों' के लिए भंडारण प्रभारों का निर्धारण करने से संबंधित 5 सितम्बर,99 को पारित इस प्राधिकरण के आदेश को पूर्व—प्रभाव से लागू करने संबंधी भारतीय नौवहन निगम द्वारा किए गए अभ्यावेदन से संबंधित है ।

2. सामान्यतया, प्रशुल्क निर्धारण संबंधी आदेश केवल भावी–प्रभाव से लागू किए जाते हैं । ऐसे आदेशों को पूर्व–प्रभाव से लागू करने से लेखा संबंधी अव्यवस्था के साथ–साथ (परिहार्य) विसंगतियां पैदा हो जाएंगी । प्रस्ताव की व्यवहार्यता पर प्रश्नचिह्न लग जाएंगे । इसलिए, प्राधिकरण की यह उल्लिखित नीति है कि वह अपने किसी आदेश को पूर्व–प्रभाव से तब तक लागू नहीं करेगा जब तक कि ऐसा करने के लिए अत्यंत विशिष्ट परिस्थितियां उत्पन्न न हो गई हों । भारतीय नौवहन निगम के वर्तमान मामले में प्राधिकरण को ऐसी कोई परिस्थितियां दिखाई नहीं देती, जिससे कि वह अपने 5 सितम्बर,1999 के आदेश को पूर्व–प्रभाव से लागू करे ।

3. परिणामतः और ऊपर दिए गए कारणों को देखते हुए यह प्राधिकरण एतद्द्वारा भारतीय नौवहन निगम के आवेदन पत्र को रद्द करता है ।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[विज्ञापन/3/4/असाधारण/143/99]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 1999

F. No. TAMP/83/99-CHPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trust Act, 1963 (Act 38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby rejects the application of the Shipping Corporation of India against recovery of storage charges for abandoned FCL Container at the Chennai Port Trust during the period 1994-97 as in the Order appended hereto.

Case No. TAMP/83/99–CHPT

The Shipping Corporation of India ..... **Applicant**

V/s.

The Chennai Port Trust (CHPT) ..... **Non Applicant**

ORDER

(Passed on this 30th day of September 1999)

This relates to a representation made by the Shipping Corporation of India (SCI) for giving retrospective effect to the Authority's order passed on 5 September 99, about fixation of storage charges for abandoned FCL Containers / shipper owned containers and 'other than shipper owned containers'.

2. Ordinarily, tariff fixation orders are enforced only prospectively. Giving retrospective operation to such orders will create (avoidable) complications besides causing an accounting chaos. The very practicability of the proposition will be open to question. The stated policy of the Authority is also, therefore, not to give any retrospective effect to its Order unless there are very special circumstances warranting the same. In the present case of the SCI, the Authority does not find any such circumstances for giving retrospective effect to its Order dated 5 September 1999.

3. In the result, and for the reasons given above, the Authority hereby rejects the application of Shipping Corporation of India.

S. SATHYAM, Chairman

[Advt /III/IV/Exty./143/99]

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.